

12  
19

पत्रावली वैध हुई। वकील वाफ़ीकरण एवं  
प्रतिवादीगण को बार-३ कावाले  
लगाई गई। बार-२ कावाले लगाने  
के बावजूद भी दफ़्तर कादालत  
नहीं जाने पर बाद वाफ़ीगण इसी  
संघ पर कयम पड़े। अदत  
दफ़्तर में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली केवल मुकाम ही नकल  
से कम लेकर दफ़्तर ल दफ़्तर है।  
गिरफ्तार के द्वारा खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

-Evdslm  
उपस्थित अधिकारी (राजस्व)  
सादुलशहर

